

राजस्थान सरकार
कायलिय तहसीलदार, मांगरोल
जिला-बारां



* जाति प्रमाण-पत्र *



क्रमांक 2014/Misc/Digital Caste (SC/ST)/5893

दिनांक 29-07-2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मीना पुत्र हंसराज मीना गांव/नगर झाडवा तह0 मांगरोल जिला बारां जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

तंत्रिधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, तंत्रिधान (अनुसूचित जाति) (लघु राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (लघु राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिगां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप्ति क्षेत्र (एनाईटो) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (गोआ व कर्नाटक) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा फिल्होबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नामांडुवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नामांडुवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (गोवर्चेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआलैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी प्रदीप मीना गांव/नगर झाडवा तहसील मांगरोल जिला बांरा जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नौट

- यहां प्रयोग साधारणतः** निवासी का अर्थ वही होगा जो जन मतीनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
 - राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यूटर/ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 - उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खालिज किया जा सकेगा।
 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिन्हें के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 - यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 - प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, मांगढोल

Signature valid

Digitally signed by
Gurjeet Om Prakash
Date: 2014-7-29
07:44:13 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1431006610185172